दिये जाने के उपरान्त भी आज भी कोई साक्ष्य उपस्थित नही होने से साक्ष्य वादी बंद की जाती है। इस स्तर पर पेशकार सरकार ने निवेदन किया कि साक्ष्य वादी मे स्वयं वादी के बयान भी नही हुये है। ऐसी सूरत मे दावे से आगे कोई कार्यवाही न की जाकर दावा चाही अदम साक्ष्य मे खारिज किया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/x/18 को पेश है।

30/x/18 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। उभय पक्ष द्वय० / पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई तथा स्वयं के बयान भी नही कराये तथा उसकी साक्ष्य के अवसर दिनांक 29/x/18 को बन्द कर दिया गया ऐसी सूरत मे वादी का वाद पत्र साक्ष्य प्रमाणित नही होने के कारण अदम साक्ष्य मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
मु० सवाई माधोपुर